भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/341
विवि.धारिता.आरईसी.सं.260/16-13-100/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - स्वैच्छिक समामेलन) निदेश, 2025

विषय-वस्तु

अध्याय I - प्रारंभिक 2

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 2

बी. प्रयोज्यता 2

सी. परिभाषाएं 2

डी. व्यापकता 3

अध्याय II – भारिबैं द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) / अनुमोदन 4

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45के, 45एल और 45एम तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ('भारिबैं') को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों / विधियों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - स्वैच्छिक समामेलन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सभी श्रेणियों (जिसे आगे से सामूहिक रूप से 'एनबीएफसी'/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और वैयक्तिक रूप से 'एनबीएफसी'/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो।

टिप्पणी: इन निदेशों के अंतर्गत प्रयोज्यता भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए फ्रेमवर्क) निदेश, 2025 में निर्धारित एनबीएफसी के लिए विनियामक संरचना के अनुरूप है।

सी. परिभाषाएं

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (1) **'समामेलित संस्था'** का अर्थ है वह संस्था जिसे समामेलन की योजना के अंतर्गत अपने कारोबार को किसी अन्य संस्था को अंतरित करने का प्रस्ताव है।

   (2) **'समामेलन संस्था'** का अर्थ है वह संस्था जिसे समामेलन की योजना के अंतर्गत समामेलित संस्था का कारोबार प्राप्त करना है।

   (3) **'समामेलन'** का आशय एक या एक से अधिक संस्थाओं का किसी अन्य संस्था के साथ संबंधित कानूनों/विनियमों के तहत विलय योजना (या जो भी नाम दिया जाए), जिसमें प्रक्रिया के नियम और तौर-तरीके निर्धारित होते है, के अंतर्गत विलय से है।

(4) **'मूल कारोबार मानदंड'** की परिभाषा 'भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी-पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए फ्रेमवर्क) दिशानिर्देश, 2025, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार होगी।

(5) **"न्यायाधिकरण"** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 (उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (90) में यथापरिभाषित) की धारा 408, समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण।

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों, जब तक कि यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा उसमें किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुन: अधिनियमन अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शर्तों की शब्दावली अथवा वाणिज्यिक भाषा में, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत उन्हें दिया गया है।

डी. व्यापकता

6. समामेलन के निम्नलिखित मामलों को इन निदेशों के तहत शामिल किया जाएगा:

(1) किसी अन्य एनबीएफसी के साथ एनबीएफसी।

(2) एनबीएफसी के साथ कोई अन्य संस्था, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में नहीं आती हो।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में नहीं आने वाली किसी संस्था का किसी एनबीएफसी के साथ समामेलन।

अध्याय II – भारिबैं द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) / अनुमोदन

7. किसी एनबीएफसी को शामिल करने वाले स्वैच्छिक समामेलन के लिए समामेलन योजना के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 234 के अनुसार न्यायाधिकरण का अनुमोदन आवश्यक होगा। तथापि, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष जाने से पूर्व एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) / पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जिसके तहत निर्धारित किए गए अनुसार समामेलन के लिए आदेश प्राप्त करना होगा:

(1) जहां किसी एनबीएफसी को किसी अन्य एनबीएफसी के साथ समामेलित करने का प्रस्ताव है, दोनों संस्थाएं भारिबैं के एनओसी की मांग करेंगी और समामेलन के बाद रद्द करने के लिए समामेलित एनबीएफसी अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पण करेंगी। समामेलन करने वाली एनबीएफसी को आरबीआई की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करनी होगी यदि ऐसा समामेलन किसी एक अथवा सभी शर्तों को पूरा करता है अर्थात (i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ई) के तहत परिभाषित अपने नियंत्रण में परिवर्तन,(ii) प्रदत्त की गई इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता में परिवर्तन, (iii) अपने प्रबंधन में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप 30 प्रतिशत से अधिक निदेशक(स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर) में परिवर्तन होगा।

(2) जहां किसी एनबीएफसी को किसी अन्य संस्था (गैर-एनबीएफसी) के साथ समामेलित करने का प्रस्ताव है, वहां समामेलित एनबीएफसी भारिबैं के पूर्व अनुमोदन की मांग करेगी और समामेलन के बाद रद्द करने के लिए उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करेगी। समामेलन के बाद यदि मूल कारोबार मानदंडों को पूरा करने की संभावना है तो समामेलन संस्था, एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करेगी।

(3) जहां गैर-एनबीएफसी का किसी एनबीएफसी के साथ समामेलित करने का प्रस्ताव है, एनबीएफसी भारिबैं के एनओसी की मांग करेगी। तथापि, यदि एनबीएफसी किसी एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करती है तो ऐसे समामेलन के लिए पूर्व अनुमोदन की मांग करेगी अर्थात (i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और

अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ई) के तहत परिभाषित अपने (एनबीएफसी) नियंत्रण में परिवर्तन, (ii) अपने (एनबीएफसी) शेयरधारिता में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत या उससे अधिक की शेयरधारिता में परिवर्तन होगा, (iii) इसके (एनबीएफसी) प्रबंधन में कोई परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों में परिवर्तन होगा।

बशर्ते कि समामेलन के बाद समामेलन एनबीएफसी समय-समय पर यथासंशोधित संबंधित दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसार एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करने के लिए पात्र होने के बाद मूल कारोबार मानदंडों को पूरा करना जारी रखेगी।

(सेंटा जॉय)
मुख्य महाप्रबंधक